रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042024-253593
CG-DL-E-08042024-253593

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2024/चैत्र 16, 1946
No. 100] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2024/CHAITRA 16, 1946

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड)

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2024

फा. सं. सीएसडब्ल्यूबी-11/1/2024-सीएसडब्ल्यूबी.—जबकि, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा पारित संकल्प दिनांक 12.08.1953 के माध्यम से की गई थी। बोर्ड को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकरण संख्या 005018 दिनांक 31.3.1969 के तहत पंजीकृत किया गया था। परिणामस्वरूप, बोर्ड को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत किया गया था।

जबकि, नवंबर, 2020 में भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार (पीआर ईए) द्वारा सरकारी निकायों के युक्तिकरण पर तैयार की गई रिपोर्ट में सीएसडब्ल्यूबी को बंद करने की सिफारिश की गई, क्योंकि मंत्रालयों/विभागों में समान उद्देश्यों वाली अन्य नई योजनाएं शुरू होने के कारण सीएसडब्ल्यूबी द्वारा महिला मंडल, डेयरी योजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता सृजन कार्यक्रम, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए एकीकृत योजना इत्यादि जैसी कार्यान्वित की जा रही कई परियोजनाएं और योजनाएं बंद कर दी गई हैं।

जबकि, 06.04.2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्रवाई की है:-

(i) सीएसडब्ल्यूबी के 91 कर्मचारियों में से 48 कर्मचारियों ने विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एसवीआरएस)

के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है, जबकि बाकी कर्मचारियों ने सेवा में बने रहने का विकल्प चुना है। तदनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने एसवीआरएस के तहत 48 कर्मचारियों द्वारा मांगी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के साथ-साथ सभी मौजूदा सेवा सुविधाओं और पेंशन के साथ एनआईपीसीसीडी में 43 कर्मचारियों की पुन: तैनाती की अनुमति दी है।

(ii) एसटीके 8 प्रारूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार किए गए खातों के विवरण, शपथ पत्रों की हस्ताक्षरित प्रतियों, क्षतिपूर्ति बांड और खातों के विवरण के आधार पर, सीएसडब्ल्यूबी का खाता, बकाया राशि के वितरण और पीएओ, एमडब्ल्यूसीडी के माध्यम से भारत की संचित निधि में अव्ययित शेष राशि जमा करने के बाद बंद कर दिया गया है।

(iii) मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एसएसडब्ल्यूबी के बंद होने के बाद संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कल्याण बोर्डों (एसएसडब्ल्यूबी) के अधिकार क्षेत्र वाले परिवार परामर्श केंद्रों (एफसीसी) को वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) से जोड़ने के उद्देश्य से उन्हें ओएससी में स्थानांतरित कर दिया गया है। एफसीसी का वित्त पोषण मंत्रालय के ओएससी प्रभाग को आवंटित बजट से किया जाएगा।

(iv) राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों (एसएसडब्ल्यूएबी) के संबंध में जनशक्ति और वित्तीय देनदारियों सहित संपत्ति, यदि कोई है तो उसे संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दी गई है।

(v) सीएसडब्ल्यूबी के सभी शेष कार्यों को पूरा करने के लिए एनआईपीसीसीडी में सीएसडब्ल्यूबी लिगेसी सेल की स्थापना की गई है।

जबकि, कार्यकारी समिति और सीएसडब्ल्यूबी की सामान्य सभा(जीबी) की अनुपस्थिति में एसएसडब्ल्यूबी को बंद करने के लिए गठित समिति द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आदेश संख्या सीएसडब्ल्यूबी -11/25/2015-सीएसडब्ल्यूबी (ई-1365) दिनांक 25.03.2022 के माध्यम से सीएसडब्ल्यूबी के विघटन/बंद करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सीएसडब्ल्यूबी के सभी परिचालन और क्रिया-कलाप दिनांक 30 नवंबर, 2023 से बंद हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सीएसडब्ल्यूबी का नाम हटाए जाने के बाद दिनांक 4 मार्च, 2024 से अब यह अस्तित्व में नहीं है।

यह अधिसूचना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सर्वेश कुमार आर्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(Kendriya Samaj Kalyan Board)

New Delhi, the 4th April, 2024

F. No. CSWB-11/1/2024-CSWB.—Whereas, Central Social Welfare Board (CSWB) was established vide resolution dated 12.08.1953 passed by The Ministry of Education, Government of India. The Board was registered under Section 25 of The Companies Act 1956 vide Registration No.005018 on 31.3.1969. Subsequently, the Board was registered under Section 8 of The Companies Act 2013.

Whereas, the report prepared by Principal Economic Adviser (Pr. EA) to the Government of India in November, 2020 on Rationalization of Government Bodies recommended to close down the CSWB as many projects and schemes which were being implemented by the CSWB, like Mahila Mandals, Dairy Scheme, Vocational Training Programme, Awareness Generation Programme, Integrated Scheme for Women's Empowerment for North Eastern States etc., have been discontinued due to launch of new schemes in other Ministries/Departments with similar objectives.

Whereas, in compliance of the decision taken by the Cabinet in its meeting held on 06.04.2023, the Ministry has taken the following actions:-

i. Out of 91 employees of CSWB, 48 employees have opted for voluntary retirement under Special Voluntary Retirement Scheme (SVRS) whereas rest of the employees have opted to continue in service. Accordingly, the Competent Authority in the Ministry of Women & Child Development has allowed the voluntary retirement sought by 48 employees under SVRS as well as redeployment of 43 employees in NIPCCD along with all their existing service facilities and pension.

ii. Based on the statement of Accounts prepared by Chartered Accountant in STK 8 format, signed copies of affidavits, Indemnity bond and statement of Accounts, the account of CSWB has been closed after disbursement of dues and deposit of unspent balance to the Consolidated Fund of India through PAO,MWCD.

iii. With the approval of the Competent Authority in the Ministry, Family Counselling Centres (FCCs) under the jurisdiction of State Social Welfare Boards (SSWBs) of respective States/UTs have been transferred to One Stop Centres (OSCs) for the purpose of linking them with the OSCs following the closure of SSWBs. Funding to the FCCs will be done from the Budget allocated to the OSC Division of the Ministry.

iv. Assets in respect of State Social Welfare Advisory Boards (SSWABs) including manpower and financial liabilities, if any, have been transferred to the respective States/UTs.

v. CSWB Legacy Cell has been established in NIPCCD for doing all the residual works of CSWB.

Whereas, the resolutions for dissolution/closure of CSWB have been passed by the Committee constituted for closure of CSWB vide MWCD order No. CSWB-11/25/2015-CSWB (e-1365) dated 25.03.2022 in the absence of Executive Committee and General Body of CSWB.

In view of the above, all operations and activities of CSWB stand closed w.e.f. 30th November, 2023. The CSWB no longer exists after striking off its name from the Register of Registrar by the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. 4th March, 2024.

This notification issues with the approval of the Competent Authority in the Ministry of Women & Child Development, Government of India.

SARWESH KUMAR ARYA , Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.04.08 14:47:06 +05'30'